अत्यावश्यक

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग,राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ 23 ( )लेखा/निकाशि/मृ.आ.परिलाभ/2011–12/ दिनांकः–

प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– मृतक कार्मिकों के आश्रितों को परिलाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार निम्नलिखित मृतक राज्य कार्मिकों के आश्रितों को परिलाभ दिया जावेगा।

1. स्व. श्री फूल मोहम्मद पुलिस निरीक्षक
2. स्व. श्री प्रकाश सिंह कानि--2045
3. स्व. श्री सोहन लाल रैगर कानि– 1567
4. स्व. श्री विजेन्द्र सिंह कानि–ड्राईवर 253 जिला अजमेर
5. स्व. श्री निहाल सिंह कानि–185

उल्लेखित मृतक कार्मिकों के पुत्र–पुत्रियों के राजकीय विद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकि शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग की शिक्षा हेतु निम्नानुसार छात्रवृति देय होगी।

(1) स्कूल में, पढने वाले बच्चों को रू 1800/– प्रतिवर्ष छात्रवृति।
(2) कॉलेज, तकनीकि शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग में पढने वाले बच्चों को रू 3600/– प्रतिवर्ष छात्रवृति।

अगर आपके महाविद्यालय में उपर्युक्त मृतक कार्मिकों के आश्रित पुत्र–पुत्रियां अध्ययनरत् है तो सादा पेपर पर छात्रवृति हेतु आवेदन कराकर अतिशीघ्र–भिजवाये। आवेदन पत्र में छात्र/छात्रा का नाम, पिता का नाम, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी निवास पता, अध्ययनरत् कक्षा व संकाय, एडमिशन की तिथि, उतीर्ण कक्षा आदि अंकित कराया जावें। पत्र के ऊपरी हिस्से पर दाहिनी ओर छात्र/छात्रा का फोटो लगवाकर प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किया जावें। आवेदन पत्र पर अन्त में प्रार्थी के हस्ताक्षर तथा उसके नीचे प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर हस्ताक्षर कर दिनांक व सील अंकित की जावें। प्रकरण सही होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी। प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करावे।

1. पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रमाणित फोटो प्रति)।
2. एडमिशन हेतु फीस जमा की रसीद (प्रमाणित फोटो प्रति)।
3. गत परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका (प्रमाणित फोटो प्रति)।

-sd-
निदेशक,
कॉलेज शिक्षा विभाग,राज0
जयपुर

क्रमांकः– एफ 23 ( )लेखा/निकाशि/मृ.आ.परिलाभ/2011–12/ 1144-48 दिनांकः–25-10-2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

(1). निजी सचिव मा.उच्च शिक्षा मन्त्री महोदय।
(2). निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा।
(3). उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, सचिवालय जयपुर को उनके आदेश पत्र क्रमांक प.10(2)शिक्षा–3/2011 पार्ट–II जयपुर दिनांक 29.09.2011 के क्रमं में।
(4). निजी सचिव निदेशक महोदय, कॉलेज शिक्षा।
(5). श्री देवर्षि जी विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक, (छात्र)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर।